सप्तदश बिहार विधान सभा

पंचम सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-14.03.2022 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री अख्तरूल ईमान, स०वि०स० श्री ललित कुमार यादव, स०वि०स० श्री शाहनवाज, स०वि०स० श्री विजय शंकर दूबे, स०वि०स० श्री मुरारी प्रसाद गौतम, स०वि०स० श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव, स०वि०स० श्री महबूब आलम, स०वि०स० ई० शशि भूषण सिंह, स०वि०स० श्री जीतन राम मांझी, स०वि०स० श्री राम रतन सिंह, स०वि०स० श्री शकील अहमद खाँ, स०वि०स० श्री अवध विहारी चौधरी, स०वि०स० श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी, स०वि०स० श्री सैयद रूकनुददीन अहमद, स०वि०स० श्री मुहम्मद इजहार असफी, स०वि०स०	"माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा एम. जे.सी. संख्या-463/2013 में पारित न्यायादेश के अनुपालन में सामान्य प्रशासन विभागके पत्रांक-3/सी.-153/2016 सा.प्र., दिनांक-27.02.2017 के अनुसार सरकारी विभागों एवं कार्यालयों में नागरिकों के आवेदन की पावती पर पूर्ण हस्ताक्षर एवं मोहर दिये जाने का निर्देश जारी है । किन्तु अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा आवेदकों को पावती नहीं दी जाती है, यही कारण है कि ऐसे आवेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है और कार्यालयों में इसे नष्ट कर दिया जाता है । यदि कहीं पावती दी भी जाती है तो पावती में केवल लघु हस्ताक्षर अंकित किया जाता है जिससे कालक्रम में आवश्यकता होने पर यह पता लगाना असंभव हो जाता है कि संबोधित हस्ताक्षर किस पदाधिकारी या कर्मचारी का है फलत: दायित्व निर्धारण करना असंभव हो जाता है । अत: सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश का अधिकारियों द्वारा अनुपालन करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	सामान्य प्रशासन

2. श्री ललन कुमार, स०वि०स० श्री बीरेन्द्र कुमार, स०वि०स० श्री कुमार शैलेन्द्र, स०वि०स० श्री अनिल कुमार, स०वि०स० श्री कृष्णनंदन पासवान, स०वि०स० श्री जय प्रकाश यादव, स०वि०स०	"बिहार राज्य के सभी सरकारी शैक्षिणक संस्थानों की स्थिति बद से बदतर हो गई है । इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में पदस्थापित शिक्षक भी अपने बच्चों को अपने संस्थानों में पढ़ाने के बजाय निजी शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाते हैं । शिक्षा के व्यवसायीकरण का दुष्परिणाम है कि सरकारी तंत्र का खुद सरकारी शैक्षणिक संस्थानों से पूरी तरह भरोसा खत्म हो चुका है । राज्य की आम जनता में इसको लेकर आक्रोश एवं असंतोष है । सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं को बेहतर बनाने का एक मात्र उपाय है कि राज्य के सभी सरकारी वेतनभोगी अपने-अपने बच्चों को सरकारी शैक्षणिक संस्थान में पढ़ायें । अत: सभी सरकारी वेतनभोगी अपने-अपने बच्चों को सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हो सकें इसके लिए कानून बनाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	शिक्षा

शैलेन्द्र सिंह
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-10/2022- 1268 / वि०स०, पटना, दिनांक- 11 मार्च, 2022 ई० ।

प्रति:- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

11.3.2022
(विमलेन्दु भूषण कुमार)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-10/2022- 1268 / वि०स०, पटना, दिनांक- 11 मार्च, 2022 ई० ।

प्रति:- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्रिगण के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव को क्रमश: माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रिगण एवं मंत्रिगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

11.3.2022
(विमलेन्दु भूषण कुमार)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-10/2022- 1268 / वि०स०, पटना, दिनांक- 11 मार्च, 2022 ई०।

प्रति:- मुख्य सचिव, बिहार / राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / सामान्य प्रशासन विभाग तथा शिक्षा विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

11.3.2022

(विमलेन्दु भूषण कुमार)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-10/2022- 1268 / वि०स०, पटना, दिनांक- 11 मार्च, 2022 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं संयुक्त सचिव के आप्त सचिव को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सचिव एवं संयुक्त सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

11.3.2022

(विमलेन्दु भूषण कुमार)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

11.3.22